गौरव मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

विविधताओं से भरे इस देश में
लगी भाषाओं की फुलवारी है,

हिंदी दिवस क्या है?

हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, उत्तर भारत के अधिकांश लोग इस भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में मनाते हैं। हिंदी का महत्व जानने और और भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हिंदी के अनुकूलन (adaptation) होने पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार की राजभाषा नीति को अनुच्छेद 120 (भाग-5), अनुच्छेद 210 (भाग-6), अनुच्छेद 343, 344 और अनुच्छेद 348 से 351 के तहत विस्तार से बताया गया है। अंग्रेजी, स्पेनिश और मंदारिन के बाद हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है।

1. 14 सितंबर 1949 में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था इसलिए इसी दिन देश में हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

2. दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाती है।

3. हिन्दी की खास बात यह है कि इसमें जिस शब्द को जिस तरह से उच्चारित किया जाता है, उसी तरह लिखा भी जाता है।

4. हिन्दी शब्दों 'अच्छा', 'बड़ा दिन', 'बच्चा', 'सूर्य नमस्कार' और यहा तक कि संविधान और आत्मनिर्भर जैसे शब्दों को भी ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है।

5. अंग्रेज़ी भाषा ने हिन्दी से कई शब्द उधार लिए हैं, जैसे- अवतार, बंदाना, बंगलो, गुरु, जंगल, खाकी, कर्मा, लूट, मंत्रा, पैजामा, शरबत, शैम्पू, योगा आदि।

6.अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा का इस्तेमाल अपनी कविता में किया था।
7.मुंशी प्रेमचंद भारत के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध हिंदी लेखक है।

8.भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी भाषा को और लोकप्रिय बनाने के लिए कई आयोजन रखते हैं।

9.विदेशों में ऐसे बहुत सारे लोग है जो हिंदी सीखने में दिलचस्पी रखते हैं।

10.संविधान सभा ने देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी को अंग्रजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था. हिंदी भारत की नहीं बल्कि विश्व की दूसरी बड़ी भाषा कही जाती है। हिंदी भाषा का उपयोग आज सर्वाधिक आबादी द्वारा किया जा रहा है। दुनिया भर में आधे अरब से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं।

भारत के कई राज्यों में सरकारी संवाद की भाषा हिंदी है। इसका उपयोग केंद्र सरकार और भारतीय संसद में भी किया जाता है। बिजनेस में भारत में संचार के लिए हिंदी एक आवश्यक भाषा है। कई व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को हिंदी में पारंगत होने की आवश्यकता होती है, खासकर यदि वे देश के उत्तरी हिस्सों में काम करते हैं जहां हिंदी प्रमुख भाषा है।

हिंदी सीखना उन लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है जो भारत में काम करने या व्यवसाय करने की योजना बना रहे हैं। हिंदी जानने से आपको भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने में मदद मिल सकती है। भारतीय न्यायपालिका की भाषा भी हिंदी है और कई कानूनी दस्तावेज़ हिंदी में लिखे जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर के कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। कई शैक्षणिक संस्थान हिंदी को दूसरी भाषा के रूप में भी पेश करते हैं और छात्रों को हिंदी सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

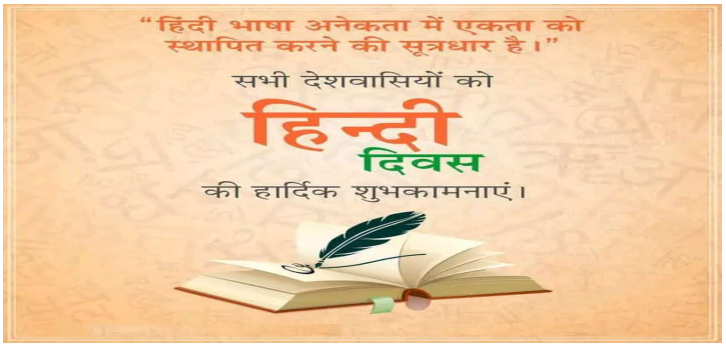

करते हैं तन-मन से वंदन, जन-गण-मन की अभिलाषा का

अभिनंदन अपनी संस्कृति का, आराधन अपनी भाषा का।

यह अपनी शक्ति सर्जना के माथे की है चंदन रोली

माँ के आँचल की छाया में हमने जो सीखी है बोली

यह अपनी बँधी हुई अंजुरी ये अपने गंधित शब्द सुमन

यह पूजन अपनी संस्कृति का यह अर्चन अपनी भाषा का।

हिंदी की बोलियों को जानने से पूर्व हमें यह जान लेना चाहिए कि बोली, उपभाषा, और भाषा में क्या अंतर होता है? सर्वप्रथम बोली वह होती है जो एक सीमित क्षेत्र के भीतर बोली जाती है। यह बस एक आम बोलचाल की भाषा होती है। जो किसी कस्बे, गांव व देहाती इलाकों में बोली जाती है। और इसमें साहित्यिक रचना नहीं की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि उपभाषा

क्या होती है? यदि किसी बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है (अर्थात उस बोली का प्रभाव बढ़ने लगता है) इस प्रकार वह बोली से उपभाषा बन जाती है। अंतिम भाषा वह होती है जब साहित्यकार किसी उपभाषा में साहित्य को डालकर या परिनिष्ठित कर उसे सर्वमान्य रूप दे देता है तो उसका और क्षेत्र बढ़ जाता है। जो बड़े स्तर पर होता है और वहां भाषा बन जाती है एक भाषा के अंतर्गत कई उप भाषाएं होती है। और एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलिया होती हैं।

यह बोली भारत के बाहर सूरीनाम, मॉरीशस, गयाना आदि देशों में बोली जाती है इसे अंतरराष्ट्रीय बोली भी घोषित कर दिया गया है। भोजपुरी में लिखित साहित्य बहुत कम है जो भोजपुरी के साहित्यकार थे उन्होंने मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी और आधुनिक काल में हिंदी लेखन पर जोर दिया इस प्रकार इस भाषा के उतने अवशेष नहीं है। भोजपुरी साहित्य को ऊंचाई देने का काम संत कवियों के बाद जिन लोगों ने किया उसमें भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर का महत्वपूर्ण योगदान है इसके साथ साथ सिनेमा जगत में भी है भोजपुरी का एक बहुत बड़ा नाम है आज भोजपुरी में काफी फिल्में बनती है।

मैथिली

इस भाषा की लिपि तिरहुता व देवनागरी है। और इस भाषा का प्रमुख केंद्र मिथिला या विदेह है। इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। साहित्य की दृष्टि से मैथिली भाषा काफी संपन्न भाषा है। इस भाषा के प्रमुख रचनाकार हुए- विद्यापति, यह नाम अपने आप में विख्यात है। यदि ब्रजभाषा को सूरदास ने और अवधी भाषा को तुलसीदास ने एक चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया तो मैथिली को विद्यापति द्वारा चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ मैथिली में उपन्यासकार हरिमोहन झा, नागार्जुन आदि प्रमुख हुए।

आठवीं अनुसूची में 92 वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान को आठवीं अनुसूची में 4 भाषाओं को स्थान मिला है। मैथिली हिंदी क्षेत्र की बोलियों में से स्थान पाने वाली एकमात्र है। फिर इस प्रकार विभिन्न बोलियों का विकास होता रहा। और वहां अपने क्षेत्र में एक प्रसिद्ध बोली बनकर लोगों द्वारा बोली जाने लगी।

यह बोली भारत के बाहर सूरीनाम, मॉरीशस, गयाना आदि देशों में बोली जाती है इसे अंतरराष्ट्रीय बोली भी घोषित कर दिया गया है। भोजपुरी में लिखित साहित्य बहुत कम है जो भोजपुरी के साहित्यकार थे उन्होंने मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधी और आधुनिक काल में हिंदी लेखन पर जोर दिया इस प्रकार इस भाषा के उतने अवशेष नहीं है। भोजपुरी साहित्य को ऊंचाई देने का काम संत कवियों के बाद जिन लोगों ने किया उसमें भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिसिर का महत्वपूर्ण योगदान है इसके साथ साथ aसिनेमा जगत में भी है भोजपुरी का एक बहुत बड़ा नाम है आज भोजपुरी में काफी फिल्में बनती है।

हिंदी की धीमी गिरावट की त्रासदी

जब हरिवंश राय बच्चन विदेश मंत्रालय में काम कर रहे थे (1955 की शुरुआत में), उन्होंने हिंदी को हमारी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने से संबंधित मामलों पर बारीकी से काम किया। अपनी आत्मकथा में उन्होंने उल्लेख किया है कि कार्यालय में अंग्रेजी परिष्कार का माहौल कैसे था। उन्होंने बताया कि कैसे, अगर कोई अपनी आंखें बंद कर ले, तो वह कार्यालय को 'ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में एक कॉकटेल पार्टी' समझ सकता है। साहब हिंदी को नौकरों या चपरासी के साथ बातचीत करने की भाषा से अधिक कुछ नहीं मानते थे । विडंबना यह है कि ऐसा लगता है जैसे हिंदी का पतन तब ही शुरू हो गया था जब भाषा को आधिकारिक बनाने की बातें चल रही थीं।

वर्तमान युग में हिन्दी की लोकप्रियता में नहीं तो उसके उपयोगकर्ताओं में भी गिरावट आयी है। हिंदी भाषी क्षेत्रों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जो 1970 के बाद से हिंदी बोलने वालों की बढ़ती संख्या को समझाती है। हालांकि, हमारे दैनिक जीवन में, हम एक बार लोकप्रिय भाषा का क्षरण देख रहे हैं।

सामाजिक पाखंड

देश के उत्तरी भागों में हिन्दी प्रमुखता से बोली जाती है। हालाँकि, यदि आप आज गहराई से देखें, तो दिल्ली, गुरुग्राम जैसे महानगर अपनी मातृभाषा को आने वाली पीढ़ियों को न सौंपने के लिए दृढ़ संकल्पित प्रतीत होते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह भाषा की धीमी मौत है। माता-पिता पसंद करते हैं कि उनके बच्चे एक विशेष अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसे अब कक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हमारी दूसरी आधिकारिक संघ भाषा-अंग्रेजी की लोकप्रियता का आंशिक श्रेय जाता है। यह दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और पूरी दुनिया में संचार का एक सामान्य माध्यम है। जाहिर है, आजकल भारतीय माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे भाषा के विशेषज्ञ उपयोगकर्ता बनें।

हालाँकि, भारत में जो हुआ है वह हिंदी से अंग्रेजी की ओर बदलाव है । मेट्रो शहरों में उच्च मध्यम वर्ग के परिवार अब अपनी प्राथमिक भाषा के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि एक नई पीढ़ी हिंदी में बात करने में अपमानित महसूस करती है, यह मानते हुए कि वे पहले से ही भाषा का उचित उपयोग जानते हैं। कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पुरस्कार और दंड की व्यवस्था के माध्यम से छात्रों में अंग्रेजी में बातचीत करने की आदत विकसित की जाती है। अपनी मातृभाषा में बात न करने के लिए पुरस्कृत होने की कल्पना करें। जबकि हिंदी अभी भी कम से कम मिडिल स्कूल तक एक अनिवार्य विषय है, उच्च शिक्षा अब लगभग पूरी तरह से अंग्रेजी में है। आधुनिक युग का शायद ही कोई पेशेवर अपने पेशे की हिंदी शब्दावली जानता हो।

भारत में उत्पन्न वेबसाइटों सहित कई वेबसाइटों की प्राथमिक भाषा अंग्रेजी है। कारण स्पष्ट है- अंग्रेजी को मिली लोकप्रियता और अभिजात्यवाद, जबकि साथ ही हिंदी को पिछड़ी भाषा के रूप में देखना। किसी भी तरह से देश की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को लागू करने का समर्थन नहीं करते हुए, किसी को इसकी गिरावट पर कुछ विचार करना चाहिए। उत्तरी मेगा-शहर भूलने की राह पर हैं। भाषा की पश्चिमी सनक को अपनाने की होड़ में फंसकर, क्या यही आधुनिक दुनिया की ओर हमारा रास्ता है?

बहरहाल कितना दुश्कर है कि हमने स्वतंत्रता का आन्दोलन भारत में चलित भाषाओं से ही लड़ा गया हमें इस आन्दोलन से अंगेजो से तो निजात मिल गई लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम भाषाई तौर पर उलझ गये इस भाषाई फिसाद की जड़ हमारे राजनेता हैं जिन्होने स्वार्थवश और कमजोर नेतृत्व के चलते भारत को जोड़ने के लिए अंग्रेजी को प्राथमिकता देकर अपनी भाषा को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। संसद में ये तर्क रखा गया कि

अहिन्दी भाषी राज्यों के कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य है। इस तर्क से ही 1968 में अदूरदर्शी राजनीति का परिणाम था कि राजभाषा में संशोधन किया गया और यह कहा गया कि जब तक एक भी अहिन्दी भाषी राज्य चाहेगा सरकारी काम काज अंग्रेजी में किये जाते रहेंगे । अन्त में नतीजा और नजरिया ये ही है कि हिन्दी के सम्मान का प्रश्न एक भाषा के सम्मान का प्रश्न नहीं है वल्कि राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है।आज जब अरब देश हिन्दी को सम्मान दे रहे है तो हमें भी अपनी भाषा को जीवित करने के लिए शपथ लेनी चाहिए कि हम हिन्दी के विकल्प के तौर पर अंग्रेजी भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे तभी सही मायने में हिन्दी दिवस मनाने का औचित्य रहेगा।

भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिन्दी है। इसलिए आप सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिंदी का ही उपयोग करें। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी।